

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

विज्ञप्ति

पत्रांक:- 656

दिनांक - 19/05/2025

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रत्रांक सं0-1813 एसएलएसए-37A/2010 दिनांकित 22.05.2024 एवं शासनादेश संख्या 68/सात-न्याय-7-2012-11/2011, दिनांकित 03.09.2012, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ए0डी0आर0 सेन्टर अमरोहा में रिक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक) के 02 पदों पर नियुक्ति हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2025 तक आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिससे संबंधित अर्हता निम्नवत है:-

पदों का नाम	अनिवार्य योग्यता	पदों की संख्या	आयु निर्धारण	मासिक पारिश्रमिक की धनराशि (मानदेय)
तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ लिपिक) संविदा के आधार पर	1.इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण/समकक्ष 2.हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर पर टाइप करने की योग्यता 3.NIELIT द्वारा प्रदत्त DOECC का CCC Diploma	02	दिनांक 19.05.2025 को 18 से 40 के मध्य	अकनं रुपये 10730/रु0 प्रतिमाह (मानदेय)

आवश्यक निर्देश:-

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक को किसी परीक्षा में बैठने से किसी सक्षम प्राधिकारी/आयोग/न्यायालय द्वारा निषिद्ध न किया गया है।
4. आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित नहीं किया गया हो।
5. आवेदक को परीक्षा स्थल पर आने-जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. आवेदन पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा उत्तर प्रदेश को संबोधित सील बंद लिफाफे में समस्त वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास व चरित्र प्रमाण पत्र की स्वयं-प्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा दो स्वयं हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो सहित दिनांक 05.06.2025 की सायं 05:00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के कार्यालय में जमा करा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अथवा गलत पते पर प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आवेदक का चयन टंकण परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार के 60 अंक निर्धारित किये गये हैं। तथा टंकण परीक्षा क्वालिफाईंग प्रकृति की होगी।
8. आवेदन पत्र के साथ एक स्वःपतायुक्त लिफाफा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित एक टिकट लगाकर प्रस्तुत करें।
9. उपरोक्त विहित पारिश्रमिक/मानदेय पर महंगाई भत्ता या अन्य कोई भत्ता आदि देय नहीं होगा।
10. चयन के संबंध में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा का निर्णय अंतिम होगा।
11. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना चयन के किसी भी स्तर पर मिथ्या पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी जोकि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर, सम्यक शासनादेश के अधीन आगे बढ़ायी जा सकती है।
13. आवेदन का प्रारूप कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा के नोटिस बोर्ड से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक के मध्य प्राप्त किया जा सकता है अथवा माननीय उत्तर प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की वेबसाइट <https://upslsa-up-nic-पद> तथा जनपद न्यायालय, अमरोहा की अधिकारिक वेबसाइट <https://amroha.dcourts.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनांक 19.05.2025

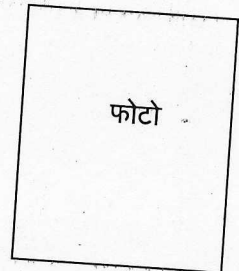
प्रतिलिपि:

- 1- जनपद न्यायालय, अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2- कलेक्ट्रेट, अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

(ज्योति) 19.5.25
सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद अमरोहा
Dist. Amroha

**कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा में तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर
संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में).....
2. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....
3. अभ्यर्थी के पिता का नाम.....
4. अभ्यर्थी की जन्मतिथि.....
5. दिनांक..... को अभ्यर्थी की उम्र..... वर्ष..... माह..... दिन.....
6. अभ्यर्थी का लिंग (पुरुष/महिला).....
7. अभ्यर्थी की जाति.....



- (सामान्य/ओबीसी/अनु जाति/अनु जनजाति)
8. अभ्यर्थी के पत्राचार का पता.....
 9. अभ्यर्थी का स्थाई पता.....
 10. मोबाइल नं०.....
 11. ई-मेल आई०डी०.....
 12. अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता.....
 13. अनिवार्यता योग्यता इण्टरमीडिएट परीक्षा एवं NIELIT/DOECC द्वारा CCC Diploma.
 14. शैक्षिक योग्यता (स्व० प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क०सं०	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी/प्रतिशत

15. विशेष अर्हता/कार्य अनुभव:.....
 16. यदि अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो या उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण.....
 17. यदि अभ्यर्थी को किसी नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/न्यायालय द्वारा परीक्षा में बैठने से निषिद्ध किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण.....
- दिनांक.....
- स्थान.....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

उद्घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाये मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है। यदि किसी भी समय उक्त सूचनायें गलत या झूठी पाई गईं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं होगी एवं इस आधार पर मेरा अभ्यर्थन/चयन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने आवेदन संबंधी सभी नियम व शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा वे सभी मुझे स्वीकार हैं।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर